भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 217752

TRY. LKO कोषागार लखनऊ से जारी 23 JUL 2013

कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र

प्रबंधक नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ..

नितिन गुप्ता पुत्र श्री मैकूलाल, निवासी – 140/55, नाला फतेहगंज, अमीनाबाद ,लखनऊ ....द्वितीय पक्ष

1. प्रथम पक्ष कैन्टीन लगाने का स्थान महाविद्यालय परिसर के अन्दर द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहा है।
2. स्थान का निर्मित एरिया 133''×83'' तथा खुला एरिया 123''×79'' होगा जिसमें द्वितीय पक्ष द्वारा कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष कैन्टीन किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन में जो भी सामग्री रखी जायेगी उसकी मूल्य सूची कैन्टीन के बाहर लगायेगा एवं उसकी एक प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
5. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं कैन्टीन सामग्री की सुरक्षा पर द्वितीय पक्ष पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा एवं कूड़े की सफाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करानी होगी।
6. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में अनुशासन बनाये रखेगा तथा उसे प्रथम पक्ष द्वारा महाविद्यालय स्थान के अतिरिक्त केवल पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन प्रारम्भ से पूर्व रू0 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि प्राचार्या, नवयुग कन्या महाविद्यालय के पक्ष में पिछले वर्ष जमा कराई जा चुकी है उसे ही इस वर्ष प्रतिभूति रूप में जमा माना जायेगा। कैन्टीन खाली करने पर, जब कैन्टीन उपलब्ध कराई गई थी, उस स्थित को बनाने में ब्यय को काटकर, दो माह के अन्दर वापिस की जायेगी तथा उस पर कोई ब्याज देय न होगा।

कमशः........2 पर

भारतीय गैर न्यायिक एक सौ रूपये के मूल्य के स्टैम्प पर संख्या बी0यू0 : 217752 दिनांक 07.08.2013 के कम संख्या 98 पर कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र के कमकांक 07 से आगे..

8. द्वितीय पक्ष को वार्षिक कैन्टीन का किराया रूपये 45,000.00 (रूप्ये पैंतालिस हजार) मात्र देना होगा। इसमें प्रतिभूति राशि सम्मिलित नहीं है। उक्त धनराशि रूपये 7000.00 की मासिक किश्तों में जमा की जायेगी, जो अगस्त 13 से जनवरी 2014 तक 7000.00 व फरवरी 2014 माह में 3000.00 जमा हो जानी चाहिये।
9. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थित नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे छात्राओं, महाविद्यालय स्टाफ को कोई परेशानी हो तथा यह कैन्टीन केवल महाविद्यालय के लिये है। अतः बाहरी ब्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा।
10. कैटीन में कार्यरत् कर्मियों का फोटो प्राचार्या द्वारा प्रमाणित होगा और उसे वह महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखेगा।
12. उपरोक्त किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार का किरायेदारी विवाद होने पर प्रबन्धसमिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह अनुबन्ध फरवरी 2014 तक किया जा रहा है। इसके बाद स्वतः निरस्त हो जायेगा। दिनांक 28 फरवरी 2014 के बाद तीन दिन के अन्दर कैन्टीन खाली करनी होगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष,

प्रबन्धक,
नव्युग कन्या महाविद्यालय,
लखनऊ।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष,

उक्त अनुबन्ध पत्र मेरे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

नवयुग कन्या महाविद्यालय

गवाह नं0–01
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।

महेश
140/55 लाला कतेगंज
अमीनाबाद लखनऊ

गवाह नं0–02
हस्ताक्षर पूरा पता सहित ।

गोस्वामी /